

भारत में दवियांगजन: हाशयि से मुख्यधारा की ओर

यह एडिटरियल 14/07/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "The Supreme Court ruling on portrayal of disability in films" लेख पर आधारित है। इसमें दृश्य मीडिया में दवियांगजनों के वरिद्ध रूढ़िवादिता और भेदभाव पर रोक के लिये सर्वोच्च न्यायालय के हाल के दशा-नरिदेशों के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ कंटेंट नरिमाण में दवियांगजनों के सटीक प्रतनिधित्व और भागीदारी पर बल दिया गया है। इसमें मौजूदा दवियांगजन अधिकार कानूनों के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रलिमिस के लिये:

दवियांगजनों से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश, [दवियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017](#), [दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016](#), भारतीय पुनरवास परिषद अधिनियम, 1992, [मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017](#), [पीएम-दक्ष \(दवियांग कौशल विकास एवं पुनरवास योजना\)](#), [सुगम्य भारत अभियान](#), [दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना](#), [दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि में सहायता की योजना](#), [दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप](#)

मेन्स के लिये:

भारत में दवियांगजनों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में दवियांगजनों को सशक्त बनाने के उपाय

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने दृश्य या वजिअल मीडिया में [दवियांगजनों \(PwDs\) के वरिद्ध रूढ़िवादिता और भेदभाव](#) पर रोक के लिये ऐतिहासिक दशा-नरिदेश जारी किये हैं। यह ढाँचा कलंकित करने वाली भाषा से बचने, सटीक प्रतनिधित्व प्रदान करने और कंटेंट नरिमाण में PwDs को शामिल करने पर बल देता है। यह नरिणय [दवियांगजन अधिकार नयिम 2017](#) जैसे मौजूदा कानून पर आधारित है, जो एक ऐसे मानवाधिकार मॉडल की ओर संक्रमण को प्रतबिबिति करता है जहाँ [PwDs को समान अधिकार रखने वाले समाज के अभनिन](#) सदस्य के रूप में देखा जाता है।

यद्यपि यह न्यायिक हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है, इसके कार्यान्वयन और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ये दशा-नरिदेश मुख्य रूप से दृश्य मीडिया पर केंद्रित हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में इनके व्यापक अनुप्रयोग की आवश्यकता है। [दवियांगजन अधिकारों के पैरोकार ध्यान दलाते हैं कि प्रगतशील कानूनों के बावजूद दवियांगजनों को प्रायः समानता के बजाय दया के नज़रिए से देखा जाता है।](#)

भारत को [वधियायी मंशा और सामाजिक यथार्थ](#) के बीच की खाई को दूर करने के लिये कठोर श्रम करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन के सभी पहलुओं में दवियांगजनों के लिये पूर्ण समावेशन और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में दवियांगजनों की वर्तमान स्थिति:

- **परिचय:** जनगणना 2011 के अनुसार, देश में दवियांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है।
 - [दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016](#) के अनुसार 21 प्रकार की दवियांगताओं को चहिनति किया गया है, जनिमें लोकोमोटर या चलन संबंधी दवियांगता, दृश्य दवियांगता, श्रवण दवियांगता, वाणी एवं भाषा दवियांगता, बौद्धिक दवियांगता, बहु दवियांगता, मस्तषिक पक्षाघात, बौनापन आदि शामिल हैं।
- **दवियांगता अधिकारों के मॉडल:** दवियांगता अधिकारों को प्रायः वभिनिन मॉडलों के माध्यम से देखा जाता है:
 - **चकितिसा मॉडल:** यह व्यक्त की निःशक्तता पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **सामाजिक मॉडल:** यह दवियांगजनों को समाज का अभनिन अंग मानता है, जनिहें अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं।
 - **मानवाधिकार मॉडल:** यह सामाजिक मॉडल का परिष्कृत रूप है, जो इस बात पर बल देता है कि दवियांगजनों को सभी मानवाधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिये।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त ढाँचा इस मॉडल के अनुरूप है, जो सरकार और नजि नकियाओं दोनों को समाज में दवियांगजनों की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को सुवधियाजनक बनाने का दायित्व सौंपता है।
- **दवियांगता अधिकार प्रदान करने वाले प्रमुख कानून:**
 - [दवियांगजन अधिकार अधिनियम \(RPwD Act\), 2016:](#) यह व्यापक कानून 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ जसिने वर्ष 1995 के अधिनियम को प्रतस्थापति किया।

- इसका उद्देश्य दवियांगजनों के लिये समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (National Trust Act), 1999:** स्वपरायणता, प्रमस्तषिक घात, मानसिक मंदता और बहु-दवियांगता से ग्रस्त व्यक्तियों (Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities) के कल्याण और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक नकिय के गठन के लिये इस अधिनियम का नरिमाण कया गया।
- **भारतीय पुनरवास परषिद अधिनियम (Rehabilitation Council of India Act), 1992:** यह अधिनियम दवियांगता पुनरवास के कषेत्र में काररत पेशवरों के प्रशकषण और पंजीकरण को नर्यितरति करता है।
- **मानसकि सवासथ्य देखभाल अधिनियम (Mental Health Care Act), 2017:** यह अधिनियम मानसकि रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रकषा करता है।
- **कलंक और भेदभाव को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के हालया दशानरिदेश:**
 - **भाषा का प्रयोग:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त रूपरेखा में ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचने पर बल दया गया है जो संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और नकारात्मक आत्म-छर्वा में योगदान करते हैं।
 - **रूढबिद्धता (Stereotyping):** दृश्य मीडया और फलिमों में दवियांगजनों के बारे में व्याप्त रूढबिद्धता को समाप्त करने का आह्वान कया गया है और कररिटरस से नरिशकतता का उपहास करने के बजाय सटीक चरित्रण प्रस्तुत करने का आग्रह कया गया है।
 - **समावेशी भाषा:** असहाय या पीड़ित जैसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाए जो दवियांगता को व्यक्तगित बनाते हैं और सामाजकि बाधाओं की अनदेखी करते हैं।
 - **समावेशी सहयोग:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Nothing About Us Without Us" (दवियांगजन संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक प्रमुख नारा जो इस बात पर बल देता है कि उनके बारे में किसी भी नीतया वधिके नरिमाण में उनकी संलग्नता सुनिश्चित की जाए) के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, ताकि दृश्य मीडया कंटेंट के सृजन एवं मूल्यांकन में दवियांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित कया जा सके।

भारत में दवियांगजनों के समकष वदियमान प्रमुख चुनौतयाँ:

- **अगम्य अवसरचना (Inaccessible Infrastructure):** मौजूदा अवसरचना दवियांगजनों के लिये प्रायः अगम्य या दुरगम्य है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और यहाँ तक कि कई नजी इमारतों में उपयुक्त रंप, लिफ्ट या टैकटाइल पैवगि का अभाव पाया जाता है।
 - दवियांगजन सशकतकरण वभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) की वर्ष 2018 की एक रपिरट के अनुसार भारत में केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से अभगम्य पाई गईं।
 - भवन संरचना संबंधी यह भेदभाव दवियांगजनों की गतशीलता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमति करता है।
- **शैकषकि अपवरजन:** शकषा का अधिकार अधिनियम के करयान्वयन के बावजूद कई दवियांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शकषा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - समावेशी स्कूलों, प्रशकषति शकषकों और सहायक प्रौद्योगकियाँ की कमी से ज्ञान में अंतराल पैदा होता है।
 - लगभग 45% दवियांगजन नरिक्षर हैं और 03 से 35 आयु वर्ग के केवल 62.9% दवियांगजन कभी भी नयिमति स्कूल गए हैं।
 - यह शैकषकि असमानता रोजगार के अवसरों में कमी और आरथकि वंचना के दुषचक्र को बनाए रखती है।
- **प्रवाग्रह की 'ग्लास सीलगि':** दवियांगजनों को सारथक रोजगार प्राप्त करने में गंभीर चुनौतयाँ का सामना करना पड़ता है। 'ग्लास सीलगि' का मेटाफोर या रूपक यह बताता है कि हाशयि पर स्थिति लोगों को प्रगतकरण से कसि प्रकार नषिद्ध कया जाता है।
 - काररस्थल पर भेदभाव, उचित सुवधियों का अभाव और सामाजकि प्रवाग्रह एक प्रकार की ग्लास सीलगि या बाधा उत्पन्न करते हैं।
 - भारत में लगभग 3 करोड़ दवियांगजन हैं, जनिमें से लगभग 1.3 करोड़ रोजगार योग्यता रखते हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 लाख को ही रोजगार प्राप्त हुआ है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बाधाएँ:** उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तक अभगम्यता दवियांगजनों के लिये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
 - कई स्वास्थ्य देखभाल सुवधियों में दवियांगजनों के अनुकूल उपकरणों या वशिषिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशकषति करमचारियों का अभाव पाया जाता है।
 - कोवडि-19 महामारी ने इन भेदयताओं को और उजागर कर दया, जहाँ दवियांगजनों को अधिक जोखमि का सामना करना पड़ा और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच में कमी आई।
- **सामाजकि कलंक की अदृश्य जंजीरें:** दवियांगता के बारे में गहन रूप से व्याप्त सामाजकि कलंक और गलत धारणाएँ दवियांगों को हाशयि पर धकेलती रहती हैं।
 - उन्हें प्रायः भेदभाव, सामाजकि गतविधियों से अपवरजन और यहाँ तक कि हिसा का भी सामना करना पड़ता है।
 - यह सामाजकि अपवरजन उनके मानसकि स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावति करता है।
- **डजिटल डवाइड- अपवरजन का एक नया मोरचा:** जैसे-जैसे भारत तेजी से डजिटल होता जा रहा है, वभिनिन डजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगकियाँ की अगम्यता के कारण दवियांगजन पीछे छूटते जा रहे हैं।
 - वेबसाइट्स, ऐप्स और डजिटल सेवाओं में अक्सर स्क्रीन रीडर या क्लोज्ड कैप्शन जैसी सुवधियों का अभाव होता है।
 - वेब एक्सेसबिलिटी वार्षिक रपिरट (2020) में पाया गया कि 98% वेबसाइट दवियांगजनों के लिये अभगम्यता संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने में वफिल रहे थे।
 - यह डजिटल डवाइड शकषा, रोजगार एवं सामाजकि भागीदारी में पहले से मौजूद असमानताओं को और बढ़ाता है।
- **वधिकि और नीत कररान्वयन संबंधी अंतराल –** पेपर टाइगर सडिरोम: यदयर्पा भारत में दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसे प्रगतशील कानून मौजूद हैं, फरि भी इनका कररान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
 - कई उपबंध बस कागज़ पर ही रह गए हैं, जसिसे 'पेपर टाइगर सडिरोम' जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
 - उदाहरण के लिये, दवियांगजन सशकतकरण वभाग की 2019 की रपिरट से उजागर हुआ कि 35 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में से केवल 23 ने ही दवियांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन कया था, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनवार्य बनाया गया है।
 - कररान्वयन में यह अंतराल वधिकि संरकषण के संभावति प्रभाव को कमज़ोर करता है।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लयि प्रमुख पहलें:

- भारत में:
 - पीएम-दकष (दवियांग कौशल वकिस एवं पुनरवास योजना)
 - सुगम्य भारत अभयान (Accessible India Campaign)
 - दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना
 - दवियांगजनों के लयि सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि में सहायता की योजना
 - दवियांग छात्रों के लयि राष्ट्रीय फ़ैलोशिप
- वैश्वकि स्तर पर:
 - एशया और प्रशांत कषेत्र में दवियांगजनों के लयि 'अधिकारों को साकार करने हेतु' इंचयोन कारयनीता
 - दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन |
 - अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस

भारत में दवियांगजनों को सशक्त बनाने के लयि कौन-से उपाय कयि जा सकते हैं?

- दवियांगजनों के अनुकूल अवसंरचना: सार्वजनकि अवसंरचना को दवियांगजनों के अनुकूल बनाने के लयि उन्नत करना, जसिमें स्पष्ट रूप से चहिनति रैम्प, टैकटाइल पैथ, सुगम्य सार्वजनकि परिवहन और कारयस्थलों पर एडेप्टवि प्रौद्योगकि का उपयोग शामिल होंगे।
 - स्कूल, अस्पताल और डिजिटल सेवाओं को सभी के लयि आसानी से सुलभ बनाने के लयि सख्त दशानरिदेश लागू कयि जाएँ।
- कृत्रमि अंगों के कषेत्र में अनुसंधान एवं वकिस: भारत में दवियांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लयि कृत्रमि अंगों के कषेत्र में अनुसंधान एवं वकिस (R&D) में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है।
 - कृत्रमि अंगों में नवाचार के लयि समर्पति सरकारी और नजी दोनों कषेत्रों से वतितपोषण को बढ़ाकर यह हासलि कयि जा सकता है।
 - वशिषिट राष्ट्रीय और कषेत्रीय कृत्रमि अंग अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से अत्याधुनकि वकिस के लयि केंद्रति वातावरण उपलब्ध होगा।
- दवियांगजनों की स्पष्ट पहचान: यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि केवल वास्तवकि दवियांगजनों को ही लाभ मलि और इसके लयि एक सख्त पहचान एवं सत्यापन प्रणाली का कारयान्वयन कयि जाए।
 - एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस के सृजन के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त कयि जा सकता है, जो बायोमीट्रिकि प्रमाणीकरण और नयिमति ऑडिटि के माध्यम से दवियांगता प्रमाणपत्रों को रकिॉर्ड करेगा तथा उन्हें सत्यापति करेगा।
 - इस डाटाबेस को नयिमति रूप से अद्यतन करने तथा अन्य सरकारी अभिलेखों के साथ इसके मलिन से झूठे दावों के मामलों की पहचान करने तथा उन्हें रदद करने में मदद मलिंगी।
- दवियांगजनों के बारे में प्रचलति धारणाओं में बदलाव लाना: 'वकिलांग' के स्थान पर 'दवियांग' जैसे सशक्तीकारी शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देकर सामाजकि दृषटिकोण में बदलाव लाया जाए।
 - अधिक समावेशी और सममानकारी समाज को बढ़ावा देने के लयि मीडिया, कला और सार्वजनकि मंचों के माध्यम से दवियांगजनों की कषमताओं एवं उपलब्धियों को उजागर कयि जाना चाहयि।
 - 'बढ़ते कदम' पहल इस दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- AI-संचालति सुगम्यता ऑडिटि: शहरी योजना-नरिमाण में AI-संचालति सुगम्यता ऑडिटि करयान्वति कयि जाए।
 - शहरी अवसंरचना का वशिषेण करने के लयि मशीन लर्नगि एल्गोरदिम का उपयोग कयि जाए, जहाँ तत्काल अभिगम्यता संबंधी अंतराल की पहचान की जा सकती है।
 - इसमें सुगम्य मार्गों का मानचतिरण करने, बाधाओं का पता लगाने और सुधार का सुझाव देने के लयि सेंसर नेटवर्क तथा कंप्यूटर वजिन ससिस्टम की तैनाती करना भी शामिल हो सकता है।
 - ऐसी प्रणाली को नरितर अपडेट कयि जा सकता है, जसिसे नगर नयिजकों और दवियांगजनों दोनों को गतशील सुगम्यता संबंधी सूचना मलिती रहेगी।
- 'यूनविरसल डिज़ाइन इनोवेशन हब': दवियांगजनों और नीत नरिमाताओं को एक साथ लाकर एक राष्ट्रीय यूनविरसल डिज़ाइन इनोवेशन हब की स्थापना की जाए।
 - यह हब उत्पादों, सेवाओं और अवसंरचना के लयि नवोन्मेषी एवं लागत प्रभावी सार्वभौमकि डिज़ाइन समाधानों के वकिस एवं वसितार पर धयान केंद्रति कर सकता है।
 - यह व्यापक कारयान्वयन से पहले नई सुगम्यता प्रौद्योगकियों के लयि परीकषण स्थल के रूप में भी कारय कर सकता है।
- न्यूरो-एडेप्टवि लर्नगि प्लेटफॉर्म: न्यूरो-एडेप्टवि लर्नगि प्लेटफॉर्म वकिसति करने में नविश करे जो वभिनिन शकिषण दवियांगता रखने वाले छात्रों के लयि शैकषकि सामग्री को वयकतकृत करने हेतु इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम (EEG) का उपयोग करते हैं।
 - ये प्लेटफॉर्म तत्काल छात्र के संज्जानात्मक भार, धयान के स्तर और सीखने की शैली के अनुसार समायोजति हो सकते हैं, जसिसे दवियांगजनों के लयि शकिषा अधिक सुगम्य एवं प्रभावी हो जाएगी।
 - EEG एक परीकषण है जो मस्तषिक में वदियुत गतविधि की माप करता है।
 - यह दवियांगता के लयि प्रासंगकि है, क्योकि यह उन तंत्रकि संबंधी स्थतियों का नदिान करने में मदद कर सकता है, जनिके परिणामस्वरूप दवियांगता उत्पन्न हो सकती है।
 - उदाहरण के लयि, EEG का उपयोग मरिगी (जो संज्जानात्मक हानि का कारण बन सकता है) या मस्तषिक की चोट (जसिके कारण मोटर या संवेदी दवियांगता उत्पन्न हो सकती है) का पता लगाने के लयि कयि जाता है।
- गगि इकॉनमी समावेशन पहल: मौजूदा गगि इकॉनमी ऐप्स के भीतर एक समर्पति प्लेटफॉर्म का नरिमाण कयि जाए जो वशिष रूप से दवियांगजनों को सेवा प्रदान करे और उन्हें लचीला तथा उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करे।
 - इसमें साइन-लैंग्वेज सपोर्ट और AI-अससिटेड टास्क मैचगि जैसी सुवधिएँ शामिल हो सकती हैं।
 - गगि इकॉनमी के प्रमुख खलिाइयों के साथ साझेदारी कर इस पहल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

- **दवियांगता समावेशी आपदा प्रबंधन प्रणाली:** एक व्यापक, टेक-संचालित आपदा प्रबंधन प्रणाली का सृजन किया जाए जो दवियांगजनों की आवश्यकताओं की पूरति करे।
 - इसमें तत्काल सुगम्य एमरजेंसी एलर्ट, GPS-ट्रैकड नकिसी सहायता और प्रथम प्रत्युत्तरकरताओं के लयि दवियांगजनों की अवस्थति एवं वशिषिट आवश्यकताओं के संबंध में डेटाबेस शामिल हो सकता है।
- **एडेप्टवि सपोर्टस टेकनोलॉजी हब: अनुकूली खेल प्रौद्योगिकी केंद्र:** पैरा-एथलीटों के लयि अत्याधुनिक सहायक प्रौद्योगिकियों को वकिसति करने के लयि एक राष्ट्रीय एडेप्टवि सपोर्टस टेकनोलॉजी हब की स्थापना की जाए।
 - इसमें AI-संचालित कृत्रमि अंग, स्मार्ट व्हीलचेयर और VR प्रशकिषण प्रणालयिँ शामिल हो सकती हैं।
 - भारत में खेलों पर बढ़ते ध्यान के साथ, यह पहल पैरा-खेलों में भागीदारी और प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकती है, साथ ही दवियांगजनों के लयि दैनिक जीवन के लयि उपयोगी नवाचारों को भी जन्म दे सकती है।
- **समावेशी डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म:** सार्वभौमिक सुगम्यता पर ध्यान केंद्रति करते हुए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को पुनः डिज़ाइन किया जाए।
 - इसमें सभी सरकारी सेवाओं के लयि **मल्टी-मॉडल इंटरफेस (वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो) का सृजन करना, वभिन्न सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ संगतता सुनिश्चित करना और वीडियो-आधारति सेवाओं के लयि रयिल-टाइम साइन लैंग्वेज व्याख्या प्रदान करना शामिल होगा।**

अभ्यास प्रश्न: भारत में दवियांगजनों के समक्ष वदियमान चुनौतयिँ की चर्चा कीजयि और समाज में उनकी पूरण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के प्रभावी उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग व्यक्तयिँ का घर है। कानून के अंतरगत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शकिषा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लयि भूमिका अधमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d